कार्यालय उप जिलाधिकारी रूड़की।

दिनांकः जुलाई 12 ,2021

पत्रांक– 520 /पी0ए0

विषयः– दिनांक 07 फरवरी 2021 को जनपद चमोली के जोशीमठ क्षेत्र मे आयी प्राकृतिक आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में समचार पत्र, सरकारी गजट वं सरकारी बेवसाईट पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी मे सूची प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

1– जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार का पत्र सं0–10894/13–आ0प्र0ब–डीईओसी/2021–21 दिनांक 22–06–2021 प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण में अभिहित अधिकारी/उप जिलाधिकारी, जोशीमठ के पत्र सं0–546/पी0ए0 दिनांकित 19–04–2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि "उनके कार्यालय द्वारा गठित द्वितीय समिति की जांच आख्या/थाना जोशीमठ की अन्तिम रिपोर्ट की आधार पर लापता व्यक्तियो अंजेश कुमार पुत्र बिरम सिंह निवासी ग्राम सोहलपुर गाड़ा जो दिनांक 07 फरवरी 2021 की चमोली, जोशीमठ की भीषण दैवीय आपदा मे लापता व्यक्ति के मृत्यु की अस्थायी उपधारणा हेतु सकारण आदेश निर्गत करते हुए लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध मे सम्बन्धित मूल राज्य के अभिहित अधिकारी/उप जिलाधिकारी को प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी बेवसाईट पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी मे सूची प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है"। उक्त के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार के द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसील रूड़की अन्तर्गत क्षेत्र से चमोली आपदा में लापता/मृत व्यक्तियो के सम्बन्ध मे समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी बेवसाईट पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी मे सूची प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

अतः श्री अंजेश कुमार पुत्र श्री बिरम सिंह निवासी ग्राम सोहलपुर गाड़ा तहसील रूडकी जिला हरिद्वार के दिनांक 07 फरवरी 2021 को चमोली आपदा मे लापता/मृत होने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि 30 दिन के भीतर दावे/आपत्ति प्राप्त करने हेतु सूचना प्रकाशित करवातें हुये इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अपूर्वा पाण्डे)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूड़की।

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन, हरिद्वार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूड़की।

सूचना

उत्तराखण्ड की भीषण आपदा दिनांक 07–02–2021 मे लापता व्यक्तियो हेतु मृत्यु की पंजीकरण प्रकिया के सम्बन्ध मे।

श्री बिरम सिंह पुत्र श्री सुक्कड़ निवासी ग्राम सोहलपुर गाड़ा तहसील रूडकी जिला हरिद्वार के द्वारा अपने पुत्र श्री अंजेश कुमार पुत्र श्री बिरम सिंह निवासी ग्राम सोहलपुर गाड़ा के दिनांक 07–02–2021 को जनपद चमोली के तपोवन जोशीमठ मे हुयी आपदा मे लापता होने का दावा प्रस्तुत किया गया है।

शासनदेश संख्या–259/XXVIII–01/01(12)2021 दिनांक 21 फरवरी, 2021 के प्रस्तर–5 के उपबन्ध 6 एवं 7 के अनुसार लापता श्री अंजेश कुमार पुत्र श्री बिरम सिंह निवासी ग्राम सोहलपुर गाड़ा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई भी जानकारी हो तो तीस दिन से पूर्व कार्यालय उप ज़िलाधिकारी/अभिहित अधिकारी, रूड़की मे लिखित/मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते है।

(अपूर्वा पाण्डे)
अभिहित अधिकारी/ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूड़की जिला हरिद्वार।